राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.17(20)नविवि/नियम/2019 जयपुर, दिनांक: 9 JAN 2020

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान अपार्टमेंट ऑनरशिप एक्ट, 2015 की धारा 33 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में राजस्थान अपार्टमेंट ऑनरशिप नियम, 2020 तथा राजस्थान अपार्टमेंट ऑनरशिप विनियम, 2020 के प्रारूप तैयार किये गये हैं, जिनको विभागीय वेबसाईट http://www.urban.rajasthan.gov.in पर अपलोड किया जा चुका है, वहां पर इनका अवलोकन किया जा सकता है।

अतः इस नियम/विनियम के संबंध में जन साधारण को कोई सुझाव/आपत्ति हो तो, इसकी सूचना अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय कक्ष सं. 7205, खाद्य भवन, शासन सचिवालय में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 15 दिवस में प्रस्तुत कराने का श्रम करावें। उक्त अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाले सुझाव/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम